**न्यायालय सिविल जज (प्रवर खण्ड), पीलीभीत।**

उपस्थितः नेहा गंगवार .....(उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा)

**CNR NO.-UPPB05000701-2022**

**मूलवाद सं0–402 / 2022**

अमन कुमार शुक्ला आयु लगभग 27 वर्ष पुत्र श्री विनोद कुमार शुक्ला निवासी मोहल्ला देशनगर अन्दर चुंगी सिविल लाइन्स साउथ एफ.सी.आई. गोदाम के पीछे परगना, तहसील व जिला पीलीभीत।

**.....वादी।**

**बनाम**

श्रीमती अनिल कुमारी आयु लगभग 60 वर्ष पत्नी श्री विनोद कुमार शुक्ला मोहल्ला देशनगर अन्दर चुंगी सिविल लाइन्स साउथ एफ.सी.आई. गोदाम के पीछे परगना, तहसील व जिला पीलीभीत।

**.....प्रतिवादिनी।**

**एक पक्षीय निर्णय**

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद प्रतिवादिनी के विरूद्व प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री हेतु संस्थित किया गया है।

संक्षेप में वाद–पत्र के अनुसार वादी का कथन है कि प्रतिवादिनी वादी की सगी माँ है। वादी का सगा छोटा भाई शिवम शुक्ला आयु लगभग 22 वर्ष है। वादी से बड़ी दो बहने श्रीमती लवली उर्फ तुलसी तथा श्रीमती पूजा है उनकी शादियाँ हो चुकी है, जो अपने अपने पति के साथ ससुराल में रहती है। वादी जिस मकान में रहता है, वह मकान उसकी सगी माँ प्रतिवादिनी श्रीमती अनिल कुमारी का है, उक्त मकान का सदर दरवाजा पश्चिम रूख को है। मकान में दो कमरे भूतल पर बने है। एक बैठक नीचे भूतल पर तथा दूसरी बैठक प्रथम तल पर बनी है नीचे गैलरी वाहन खड़े करने के लिए है। मकान में किचन व बरांडा बना है। वादी नीचे भूतल पर बने एक कमरे में अपनी पत्नी श्रीमती सीमा शुक्ला व पुत्र आशुतोष शुक्ला के साथ रहता है, वर्तमान में वादी राजस्थान में प्राईवेट नौकरी करता है। उसकी पत्नी व बच्चा यहाँ रहते है। वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शा नजरी में मकान को अक्षर अ०व०स०द० से प्रदर्शित किया गया है, जिसकी चतुर्दिक सीमाएं पूरब में मकान डिम्पी कौर पत्नी भूपेन्द्र सिंह, पश्चिम में पक्की सड़क, उत्तर में खाली प्लॉट दिचनेश वर्मा एवं दक्षिण में मकान देव गंगवार है। वादी का छोटा भाई शिवम शुक्ला स्मैक तथा अन्य मादक वस्तुओं के सेवन का आदी है और वह माता पिता को डरा धमका कर उनसे रूपये लेता है, उसका दुर्पयोग करता है और धीरे धीरे करके माता पिता की सारी जमा पूँजी को उनसे लेकर बर्बाद कर चुका है। वादी के पिता रेलवे विभाग से रिटायर पेंशन भोगी है। शिवम शुक्ला अब माँ को वादग्रस्त मकान को बेच कर सारा रूपये उसे देने के लिए बराबर दवाब बनाये हुए है। माँ बाप परेशान है उनके पास इस मकान के अलावा अन्य कोई अचल सम्पत्ति नहीं है। वादी का छोटा भाई वादी की पत्नी व बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करता है और उन्हें घर से बाहर निकाल

कर कमरा खाली कराना चाहता है। जिससे की मकान की बिक्री का रास्ता साफ हो सके। वादी राजस्थान में प्राईवेट नौकरी करता है, जिस कारण उसका छोटा भाई बेफिक होकर माँ वाप को बे–वजह परेशान करके वादग्रस्त मकान को अपनी माँ पर नाजायज दवाब बना कर उसकी बिक्री कराकर सारी रकम हडपना चाहता है। जबकि वादी उसमें विधिक रूप से 1/2 भाग का हकदार है। जिस कारण मकान बिक्री से रोका जाना व उसको रहन/गिरवी रखकर किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था से ऋण लेने से रोका जाना अति आवश्यक हो गया है अन्यथा वादी को अपूर्णनीय क्षति पहुचने की प्रबल सम्भावना बनी हुई है। क्षति की भरपाई भविष्य में किसी तरह हो पाना सम्भव नहीं हो सकेगा।

वादी द्वारा याचना की गयी है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादिनी एंव उससे आदेशित एंव निर्देशित होने वाले व्यक्तियों के विरूद्व स्थाई व्यादेश की डिग्री इस आशय की पारित की जावे कि प्रतिवादिनी वादग्रस्त मकान की बिक्री करने एंव उक्त मकान को रहन/गिरबी रखकर उसपर किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था से ऋण लेने से उसें निषेधित किया जावे।

न्यायालय द्वारा प्रतिवादिनी पर सम्मन की तामीला दिनांक 06.02.2023 को पर्याप्त माना गया। प्रतिवादिनी द्वारा लिखित कथन न प्रस्तुत किये जाने के कारण प्रतिवादिनी के लिखित कथन दाखिल करने का अवसर न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 28.04.2023 द्वारा समाप्त कर वाद कार्यवाही प्रतिवादिनी के विरूद्ध एक पक्षीय रूप से अग्रसारित की गयी है।

प्रतिवादिनी द्वारा दिनांक 04.03.2023 को प्रार्थना पत्र कागज सं0–11ग प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि उसने प्रश्नगत मकान को अपने दोनों पुत्रों को रहने के लिए आपसी तौर पर बाट दिया था। बड़ा पुत्र अमन शुक्ला राजस्थान में प्राइवेट नौकरी करता है तथा उसकी पत्नी व बच्चे यही रहते हैं, जबकि छोटा पुत्र शिवम शुक्ला स्मैक व अन्य नशीली वस्तुओं का सेवन करता है तथा खर्चे के लिए डरा–धमका कर अपने पिता से रूपये लेता है। उसका छोटा पुत्र बड़े पुत्र की पत्नी व बच्चों को घर से निकाल कर मकान खाली करने का दबाव बनाता है तथा उससे बैनामा कराकर सारी धनराशि को अकेले हड़प लेना चाहता है। अतः न्यायालय द्वारा उचित आदेश पारित किया जाये।

वादी की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में साक्षी पी0डब्लू0–1 स्वयं का साक्ष्य शपथपत्र कागज संख्या 15क/1 लगायत 15क/2 एवं पी0डब्लू0–2 सीमा शुक्ला का साक्ष्य शपथ पत्र कागज सं0–16क/1 ता 16क/2 दाखिल किया गया है।

वादी की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य के रूप से फेहरिस्त कागज सं0–8ग/1 से विक्रय–पत्र दिनांकित 21.05.2022 की छायाप्रति कागज सं0–8ग/2 ता 8ग/13 पत्रावली पर दाखिल किया गया है।

**<u>वादी के विद्वान अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक् परिशीलन किया गया।</u>**

**<u>निष्कर्ष</u>**

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत वाद वादी द्वारा प्रतिवादिनी के विरूद्ध प्रश्नगत मकान के सम्बन्ध में स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु प्रस्तुत किया गया है। वादी का संक्षेप में कथानक है कि प्रतिवादिनी अनिल कुमारी

उसकी सगी माता है तथा वादी का एक सगा छोटा भाई शिवम् शुक्ला है। वादी जिस मकान में रहता है, वह मकान प्रतिवादिनी का है। वादी का छोटा भाई शिवम् शुक्ला माता–पिता की सारी जमा पूंजी को बर्बाद कर रहा है तथा वह प्रतिवादिनी को निरंतर दबाव बनाकर मकान को बेचने हेतु प्रयासरत् है, जबकि वादी का प्रश्नगत मकान में 1/2 हिस्सा है।

वादी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में विक्रय–पत्र दिनांकित 21.05.2022 की छायाप्रति कागज सं0–8ग/2 ता 8ग/13 दाखिल किया गया है, जोकि मात्र छायाप्रति है, जिसके कारण भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। वादी के स्वयं के कथनानुसार उसकी माता प्रतिवादिनी प्रश्नगत मकान की स्वामिनी है। वादी द्वारा अपने वाद–पत्र में यद्यपि प्रश्नगत मकान में 1/2 हिस्सा होने का कथन किया गया है, किन्तु उसके स्वयं के कथनानुसार प्रतिवादिनी प्रश्नगत मकान की स्वामिनी है। वादी द्वारा अपने वाद–पत्र में कहीं भी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रश्नगत मकान को संयुक्त हिन्दु परिवार की आय से खरीदा गया हो। इस प्रकार वादी को स्वयं के कथनानुसार प्रतिवादिनी के प्रश्नगत मकान के स्वामी होने के कारण प्रतिवादिनी प्रश्नगत मकान को विक्रय करने हेतु स्वतंत्र है। वाद–पत्र में वादी द्वारा समस्त आक्षेप अपने छोटे भाई शिवम शुक्ला पर लगाये गये हैं, जबकि शिवम शुक्ला को पक्षकार नहीं बनाया गया है। न्यायालय द्वारा प्रश्नगत मकान की स्वामिनी अर्थात् प्रतिवादिनी को मकान विक्रय करने या उसे गिरवी रखने से निषेधित नहीं किया जा सकता है। अतः न्यायालय का यह मत है कि वह प्रश्नगत मकान के सम्बन्ध में स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद प्रतिवादिनी के विरूद्ध एक पक्षीय रूप से खारिज किये जाने योग्य है।

**<u>आदेश</u>**

वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद प्रतिवादिनी के विरूद्ध एक पक्षीय खारिज किया जाता है। पक्षकार अपना–अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें।

पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार संकलित की जावे।

दिनांक–10.01.2024

( नेहा गंगवार )
सिविल जज (सी0 डि0)
पीलीभीत।
जे0ओ0 कोड–यू0पी0–2038

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षर व दिनांकित होकर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनांक–10.01.2024

( नेहा गंगवार )
सिविल जज (सी0 डि0)
पीलीभीत।
जे0ओ0 कोड–यू0पी0–2038

Digitally signed by NEHA GANGWAR
Date: 2024.01.10 17:02:01 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court